महिलाओं के संरक्षण में मानवाधिकार की भूमिका

डॉ. सपना ताम्रकर

मानव जाति के इतिहास में 10 दिसम्बर, 1948 एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पारित की थी। इस ऐतिहासिक घटना को हुए 71 वर्षों से अधिक बीत चुके हैं तथा इस दौरान मानव अधिकारों का आन्दोलन पूर्ण विश्व में फैल चुका है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव अधिकार संबंधी उपबन्ध एक सुनहरी माला के समान पूर्ण चार्टर में फैले हुए हैं। यद्यपि प्रारंभ में मानव अधिकारों के विकास को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी अत्याचारों एवं बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया, मानव अधिकारों का विकास इतनी तीव्र गति से हुआ कि इसे लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्थायी भाग बनने में अधिक समय नहीं लगा। आणविक शस्त्रों, हिंसा, आतंकवाद, यंत्रणा आदि से त्रस्त विश्व के लिए मानव अधिकार के लिए सम्मान एवं उसका अनुपालन एक गहरी एवं लम्बी सुरंग से आती हुई प्रकाश की किरण के समान एक ऐसी प्रबल आभा है जो वर्तमान विश्व सभ्यता को विनाश से बचा सकती है। यदि विश्व को युद्धों एवं विनाश से बचाना है तो हमें मानव अधिकारों के प्रति सम्मान एवं उसके अनुपालन की प्रोन्नति करनी होगी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करने के सिद्धान्त की अभिपुष्टि की थी और यह घोषणा की थी सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव भी शामिल है, सभी अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के हकदार है। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा है। इसी उद्देश्य से यह पेपर प्रस्तुत किया गया है।